2026 का विधेयक संख्यांक 156

[दि नेशनल को-आपरेटिव डेवलोपमेंट कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 का हिंदी पाठ]

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1962 का 26

2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(क) खंड (कखक) का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(खक) "सहकारी विकास" से सहकारी समितियों के लिए प्रत्यक्ष या किसी मध्यवर्ती इकाई के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका वित्तपोषण करना अभिप्रेत है;';

(ग) खंड (ग) में, "बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अधीन या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त है" के स्थान पर "बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जो तत्समय प्रवृत्त है" शब्द रखे जाएंगे ; 1984 का 51 2002 का 39

(घ) खंड (घक) में, उपखंड (viii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ix) प्रसंस्कृत खाद्य और अन्य खाद्य उत्पाद;

(x) कोई अन्य खाद्य मद जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ;";

(ङ) खंड (घखक) में, "ग्रामीण क्षेत्रों में" शब्दों का लोप किया जाएगा; और "इसके अंतर्गत हस्तशिल्प या ग्रामशिल्प" शब्दों के स्थान पर "इसके अंतर्गत कोई हस्तशिल्प या अन्य शिल्प" शब्द रखे जाएंगे;

(च) खंड (घघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(घड.) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पदों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;'।

धारा 2क का लोप ।

3. मूल अधिनियम की धारा 2क का लोप किया जाएगा ।

धारा 3 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (4) के खंड (vii) का लोप किया जाएगा ।

धारा 9 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से" शब्दों के स्थान पर "सहकारी विकास से " शब्दों को रखा जाएगा ;

(ii) खंड (क) में, "और अधिसूचित वस्तुओं" के स्थान पर, ", अधिसूचित वस्तुओं और औद्योगिक माल" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) सहकारी सोसाइटियों या सहकारी विकास में लगी किसी भी इकाई के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को निधि प्रदान करना, कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, पशुधन, कुक्कुट खाद्य, औद्योगिक वस्तुओं, अधिसूचित वस्तुओं और अधिसूचित सेवाओं के क्रय के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से, इस सीमा तक कि ऐसी निधि का उपयोग सहकारी समितियों के लिए किया जाता है;";

(ii) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घक) सहकारी सोसाइटियों या सहकारी विकास में लगी किसी भी इकाई को इस सीमा तक कि ऐसी निधियों का उपयोग सहकारी सोसाइटियों के लिए किया जाता है, जैसा निगम द्वारा अपेक्षित किया जाए, सुरक्षा प्रदान करने के अधीन सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करना;";

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, खंड (च) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी से अन्यथा सहकारी सोसाइटियों या सहकारी विकास में लगी कोई इकाई का शेयर पूंजी में भाग लेना ।";

(ग) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4) सहकारी विकास में लगी इकाई ऐसी होंगी जैसा कि बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए ।"।

नई धारा 9क का अंत:स्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

आनुषंगिक शक्तियां ।

"9क. निगम इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने कार्यों का निर्वहन और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या उसके परिणामस्वरूप सभी चीजें कर सकेगा।

नई धारा 13क का अंत:स्थापन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

ऋण संबंधी सूचना ।

"13क. निगम, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक या किसी बैंकिंग कंपनी या ऐसे अन्य वित्तीय संस्थान से जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए, ऋण संबंधी सूचना या अन्य सूचना एकत्र कर सकेगा या प्रदान कर सकेगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के निगमन और उसके विनियमन के लिए अधिनियमित किया गया था, इस अधिनियम का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन तथा इससे जुड़ी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात तथा आयात से संबंधित कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा प्रोत्साहन करना है।

2. इस अधिनियम में वर्ष 1973, वर्ष 1974 और वर्ष 2002 में संशोधन किए गए थे, ताकि निगम के निधि स्रोतों में विविधता लाई जा सके, इसकी गतिविधियों के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके, पात्र सहकारी सोसाइटियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके और अधिसूचित सेवाओं को इसके कार्यक्षेत्र में शामिल किया जा सके।

3. हाल के वर्षों में सहकारी क्षेत्र का उल्लेखनीय विस्तार और विविधीकरण हुआ है। सहकारिताओं के विकास के लिए अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण, विपणन, वित्तीय तथा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में कानूनी निकाय, राज्य सरकार की एजेंसियाँ तथा अन्य विशिष्ट इकाइयां लगातार अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। चूँकि ऐसी इकाइयां आवश्यक नहीं कि सहकारी सोसाइटियों के रूप में पंजीकृत हों, इसलिए निगम वर्तमान में उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, जबकि उनकी गतिविधियों का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को लाभ पहुँचाना ही होता है। परिणामस्वरूप, ऐसे प्रस्तावों को राज्य सरकारों अथवा सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से भेजना पड़ता है, जिससे प्रक्रियागत विलंब होता है तथा सीमित स्वीकृति होती है ।

4. जुलाई, 2021 में पृथक सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों से सहकारी विकास में निगम की भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

5. सहकारी क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए, निगम के जनादेश को सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना बनाने और बढ़ावा देने से बढ़ाकर सहकारी विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक माना जाता है। निगम को सहकारी समितियों या सहकारी विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान प्रदान करने में सक्षम बनाने का प्रस्ताव है, जहां तक ऐसी निधियों का उपयोग सहकारी समितियों के लिए किया जाता है, वहां यह निगम द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के अधीन होगा । राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, निगम को केंद्रीय सरकार की मंजूरी से सहकारी समितियों या सहकारी विकास में लगी किसी भी इकाई की शेयर पूंजी में भाग लेने का उपबंध करता है। सहकारी समितियां प्राथमिक लाभार्थी बनी रहेंगी, जबकि प्रस्तावित विधेयक संस्थागत चैनलों का विस्तार करता है जिसके

माध्यम से सहायता पहुंच सकेगी और सहकारी क्षेत्र मजबूत हो सकेगा ।

6. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का भी उपबंध करता है—

(क) "खाद्य पदार्थ" की परिभाषा का विस्तार करते हुए उसमें ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों को भी शामिल किया जा सके, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(ख) औद्योगिक वस्तुओं पर लागू भौगोलिक प्रतिबंध को हटाया जा सके, ताकि उनके स्थान को ध्यान दिए बिना ऐसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके;

(ग) कतिपय कानूनी संदर्भों का अद्यतन किया जा सके तथा उन संस्थाओं और ढांचों से संबंधित अप्रचलित उपबंधों को हटाया जा सके, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं;

(घ) निगम को उसके कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक सहायक शक्तियाँ प्रदान की जा सकें; और

(ङ) निगम को अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों और वित्तीय संस्थानों से ऋण संबंधी सूचना तथा अन्य सूचना प्राप्त करने और उन्हें उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके; और

(च) निगम को अधिक लचिलापन और विधिक स्पष्टता प्रदान करने, सहकारी विकास के लिए समय पर और प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता को सुविधाजनक बनाने तथा सहकारी क्षेत्र की उभरती एवं विविध आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए।

7. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है।

नई दिल्ली
7 अगस्त, 2026

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, यदि अधिनियमित होता है, भारत की संचित निधि में से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं होगा।

उपाबंध

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम संख्यांक 26) से उद्धरण

* * * * * *

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

* * * * * *

(कखक) "केन्द्रीय वित्तीय संस्था" से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है या भारतीय औद्योगिक प्रत्यय और विनिधान निगम लिमिटेड जो दि इंडियन कंपनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का 9) के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, अभिप्रेत है;

* * * * * *

(ग) "सहकारी सोसाइटी" से ऐसी सोसाइटी अभिप्रेत है जो सहकारी
1912 का 2 सोसाइटी अधिनियम, 1912 के अधीन या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी
1984 का 51 अधिनियम, 1984 के अधीन या सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त है, रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है, और जो धारा 9 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी में लगी हुई है तथा इसके अन्तर्गत सहकारी भूमि विकास बैंक, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, भी है ;

* * * * * *

(घक) "खाद्य पदार्थ" के अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :–

* * * * * *

(viii) सब्जियां ;

(घखक) "औद्योगिक माल" से औद्योगिक सहकारिताओं या कुटीर और ग्रामोद्योग के उत्पाद या ग्रामीण क्षेत्रों में सहबद्ध उद्योगों के उत्पाद अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत हस्तशिल्प या ग्रामशिल्प भी है ;

* * * * * *

(घघ) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और
1970 का 5 अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी
1980 का 40 (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ;

* * * * * *

किसी ऐसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, या किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में विद्यमान नहीं है, निर्देशों का अर्थान्वयन।

2क. इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, या किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में विद्यमान नहीं है, किसी निर्देश का, उस राज्य के संबंध में, अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा मानो वह उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानी विधि के प्रति, या उस राज्य में विद्यमान किसी तत्समान कृत्यकारी के प्रति, निर्देश हो ।

* * * * * *

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना।

3. (1) * * * * *

(4) महापरिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

* * * * * *

(vii) केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्षों में से एक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ;

* * * * * *

निगम के कृत्य।

9. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निगम के कृत्य सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से,–

(क) कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, कुक्कुट खाद्य और अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, क्रय-विक्रय, भंडारकरण, निर्यात और आयात के लिए ;

* * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निगम–

* * * * * *

(ख) केन्द्रीय सरकार के निमित्त कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, पशुधन, कुक्कुट खाद्य, औद्योगिक माल, अधिसूचित वस्तुओं और अधिसूचित सेवाओं के क्रय के लिए सहकारी सोसाइटियों का वित्तपोषण करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां दे सकेगा ;

* * * * * *